याचीगण ने अपने प्रति उत्तर शपथपत्र के संलग्नक-आर०ए०2 में दिनांक 6-3-85 के "सियासत जदीद कानपुर" समाचार पत्र, जिसमें उक्त रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, की छायाप्रति दाखिल की है। उक्त विज्ञापन की छाया प्रति में यह स्पष्ट रूप से अंकित है "यू०टी०सी० पास शुदा उम्मीदवार भी मजकूरा तारीख और वक्त पर सभी असल असनाद के हमराह अपने अखराजात पर जिला विद्यालय इन्सपेक्टर फतेहपुर के दफ्तर में इन्टरव्यू के लिए हाजिर हों। उनकी अगर तकर्ररी की गयी तो जाब्ता के मुताबिक उन्हें अनट्रेन्ड मुकर्रा तनख्वाह व दीगर वाजिब अलावा होगी।"

उक्त विज्ञापन के आधार पर ही दिनांक 14-3-85 को साक्षात्कार हुए, इस पर कोई विवाद नहीं है। उक्त विज्ञापन से ही स्पष्ट है कि यू०टी०सी० पासशुदा अभ्यर्थियों को आवेदन किये जाने का प्रतिबन्ध केवल यह था कि वे उक्त अभ्यर्थी अप्रशिक्षित वेतन पाने के अधिकारी होंगे।

" उक्त विज्ञापन से स्पष्ट है कि प्रति शपथपत्र में उठायी गयी दूसरी आपत्ति भी निराधार है। प्रतिशपथपत्र के संलग्नक-सी०ए०1 में जो सूची, चयन सूची की तरह, दाखिल की गयी है, वह सम्पूर्ण सूची यू०टी० सी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की है। उक्त सूची से स्पष्ट है कि यू०टी० सी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर यू०टी० सी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए मात्र प्रतिबन्ध यह था कि वे अप्रशिक्षित अध्यापक का वेतन पाने के अधिकारी होंगे। लेकिन यू०टी०सी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पद की अर्हता न रखने वाला अभ्यर्थी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार याचीगण को नियुक्त न करने का जो दूसरा आधार प्रति शपथपत्र में दिया गया है, यह भी पूर्ण रूप से अप्रासंगिक और अभिलेखों के विरुद्ध है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षीगण ने अनुचित रूप से याचीगण को सहायक अध्यापक उर्दू के अप्रशिक्षित वेतनमान पर उनको चयनित होने के उपरान्त न रखकर स्पष्ट रूप से याचीगण के अधिकारों का अनुचित रूप से हनन किया है।

उपरोक्त विवेचन से मैं सन्तुष्ट हूं कि याचीगण याचिका में मांगे गये अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं। तद्नुसार याचिका स्वीकार की जाती है और प्रतिपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति पाने के एक माह के अन्दर याचीगण को ज्वाइनिंग हेतु ...